

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3
संख्या:-आई/ 693388 /2024/8-3099/283/2024
लखनऊ: दिनांक: 16 जुलाई, 2024

अधिसूचना

शासनादेश संख्या- 2120/आठ-3-22-198/विविध/14, दिनांक 24.08.2022 द्वारा निर्धारित उत्तर प्रदेश ट्रांजिट ओरिएण्टेड डेवलपमेंट नीति, 2022 के प्रस्तर संख्या- 3.1.10 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद-गाजियाबाद में वर्तमान में संचालित निम्नलिखित मेट्रो कॉरीडोर को उत्तर प्रदेश ट्रांजिट ओरिएण्टेड डेवलपमेंट नीति, 2022 की अनुसूची-एक में सम्मिलित किए जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

रेड मेट्रो लाईन के स्टेशन			
1.	शहीद नगर	5.	मोहन नगर
2.	राजबाग	6.	अर्थला
3.	मेजर मोहित शर्मा राजेन्द्र नगर	7.	हिण्डन रीवर
4.	श्याम पार्क	8.	शहीद स्थल (न्यू बस अड्डा)
ब्लू मेट्रो लाईन के स्टेशन			
1.	कौशाम्बी	2.	वैशाली

Signed by

Nitin Ramesh Gokarn (डॉ० नितिन रमेश गोकर्ण)

Date: 16-07-2024 15:54:10 अपर मुख्य सचिव।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट में दिनांक....., 2024 के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड 'ख' में प्रकाशित करायें तथा गजट की मुद्रित 05-05 प्रतियां संबंधित अधिकारियों एवं 10 प्रतियां इस अनुभाग को सीधे उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (2) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (3) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

- (4) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
- (5) महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश।
- (6) मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
- (7) जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
- (8) अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
- (9) नियत प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
- (10) सचिव, उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ।
- (11) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- (12) निदेशक, आवास बन्धु को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने तथा प्रचार-प्रसार हेतु।
- (13) गार्ड फाईल।

Signed by

Udai Bhanu Tripathi

Date: 16-07-2024 17:03:43

आ.डा.सि,
उत्तर प्रदेश
विशेष सचिव।